शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर,

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत

क्रमांक / 391. /अका./ब.वि.वि./2021 जगदलपुर, दिनांक 01/07/2021

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 32वीं बैठक दिनांक 01.07.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1. प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , — अध्यक्ष
   कुलपति,
   शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर
2. श्री अरविंद नेताम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार — सदस्य
   कुम्हार पारा, जगदलपुर जिला बस्तर
3. संभागीय संयुक्त संचालक, — वित्त–सदस्य
   कोष, लेखा एवं पेंशन बस्तर जगदलपुर
4. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं विधि संकाय, — संकायाध्यक्ष सदस्य
   प्राचार्य, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर बस्तर
5. डॉ. व्ही.के.पाठक, — सचिव
   कुलसचिव,
   शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

6. श्री रेखचंद जैन, — विधानसभा सदस्य
   माननीय विधायक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 86 – जगदलपुर
7. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, — प्राचार्य सदस्य
   शासकीय महाविद्यालय, सरोना।
8. डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य, — प्राचार्य सदस्य
   शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर।
9. डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, — प्राचार्य सदस्य
   शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल।
10. श्री हर्षवर्धन अरोरा, — सदस्य
    द्वारा श्री धरेन्द्र अरोरा, कृष्णा पाटीदार भवन के पीछे,
    मुंगेली रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2021

11. डॉ. कमलाकर सिंह, पूर्व कुलपति, भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, निवासी–ई–3/22, नुपुर कुंज, अरेरा कालोनी, भोपाल — सदस्य

12. श्री अनूप रंजन पाण्डेय, एच–15, सेलटैक्स कालोनी, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) — सदस्य

13. डॉ. आर.के. हिरकने, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा — संकायाध्यक्ष सदस्य

14. डॉ. ए.के.दीक्षित, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं कला संकाय, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम, बीजापुर — संकायाध्यक्ष सदस्य

15. डॉ. के. इंदिरा संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय, प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर — संकायाध्यक्ष सदस्य

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 31वीं बैठक दिनांक 09.04.2021 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 31वीं बैठक दिनांक 09.04.2021 के कार्यवृत्त के पालन प्रतिवेदन को कार्यपरिषद के पटल पर रखना।

निर्णय :–

कार्यपरिषद के पटल पर रखा गया।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 15.06.2021 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का नाम शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर किये जाने के संबंध में सूचना।

विभागीय टीप :–

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 260–अ दिनांक 02.09.2008 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्र. 18 वर्ष 2008) द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 287 दिनांक 22.05.2021 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्र. 9 वर्ष 2021) द्वारा मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग–2 (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कालम (2) की प्रविष्टियों में शब्द "बस्तर विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर" प्रतिस्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त राजपत्र दिनांक 25.05.2021 के

01 JUL 2021

पूर्व छत्तीसगढ़ राजपत्र की वेबसाईट पर प्रदर्शित नही हुंआ था। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 287 दिनांक 22.05.2021 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्र. 9 वर्ष 2021) के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को जानकारी दिनांक 15.06.2021 को हुई। इससे पूर्व बस्तर जिला प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित झीरम श्रद्धांजलि दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का नाम शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर की औपचारिक घोषणा एवं अनावरण किया गया।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 376 दिनांक 26.08.2020 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 अनुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनिमय, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग–2 (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कालम (2) की प्रविष्टियों में शब्द "बस्तर विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर" प्रतिस्थापित किया गया है। जिसके आधार पर विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 305/ब.वि.वि./अका./2021 जगदलपुर दिनांक 25.05.2021 जारी किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का नाम शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर किये जाने की सूचना कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

सत्र 2020–21 की ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के सम्पन्न होने उपरान्त देयक भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप :–

सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं अध्ययनशालाओं में संचालित एल.एल.बी.,समस्त स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाईन पंजीयन एवं आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 10.11.2020 से प्रारंभ किया गया। बी.एड., एम.बी.ए., एम.सी.ए. तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र–छात्राओं की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु पोर्टल में पंजीयन कराया गया है। उपरोक्तानुसार ऑनलाईन कार्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित एजेन्सी एम.आई.सी.एस. भोपाल द्वारा सफलता पूर्वक किया गया है। कार्य सम्पन्न होने पश्चात् देयक क्रमांक 382 दिनांक 21.06.2021 प्रेषित किया गया है। जिसके अनुसार प्रति पंजीयन अनुबंधित दर रू. 11/– की दर से कुल पंजीयन 22,220 के लिये राशि रू. 2,44,420/– तथा जी.एस.टी. 18 प्रतिशत की दर से राशि रू. 43,995/– इस प्रकार कुल राशि रू. 288,416/– का भुगतान वित्तीय परीक्षणोपरान्त करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

देयक अनुसार राशि रू. 2,88,416/– के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

01 JUL 2021

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय के भंडार विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर के नाम से नवीन फ्लेक्स बोर्ड/एल.ई.डी. ग्लोसाईन बोर्ड/एल.ई.डी. लेटर ए.सी.पी. शीट सहित बोर्ड विथ पाईप निविदा में स्वीकृत फर्म Smriti Galaxy India, Agrasen Chowk, Jagdalpur से निर्मित कराने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं राशि रू. 6,93840=00 (छः लाख तिरान्नवे हजार आठ सौ चालीस रूपये) देयक भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीपः–

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 376 दिनांक 26.08.2020 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 अनुसार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग–2 (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कालम (2) की प्रविष्टियों में शब्द "बस्तर विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर" प्रतिस्थापित किया गया है। जिसके आधार पर विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 305/ब.वि.वि./अका./2021 जगदलपुर दिनांक 25.05.2021 जारी किया गया है। अतः नाम परिवर्तन के कारण निम्नानुसार स्थलों में फ्लेक्स बोर्ड/एल. ई. डी. ग्लोसाईन बोर्ड/ एल. ई. डी. लेटर ए.सी.पी. शीट सहित बोर्ड विथ पाईप निर्मित कर लगाया जाना है :–

1. प्रशासनिक भवन के उपर,
2. अकादमिक भवन के उपर,
3. परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर मुख्य सड़क किनारे,
4. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर के समीप चौक में चित्रकोट रोड़ पर,
5. चित्रकोट रोड़ पर शासकीय पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल के चौक के समीप,
6. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के आवासीय परिसर के समीप चौक पर,
7. चित्रकोट रोड़ से कालीपुर सड़क पर स्थित नवोदय विद्यालय के समीप स्थित चौक पर,

इस हेतु निविदा में स्वीकृत फर्म Smriti Galaxy, India, Agrasen Chowk, Jagdalpur को कार्यादेश क्रमांक/2634/भण्डार/श.म.क.विवि. ब./2021–22, जगदलपुर, दिनांक 11/06/2021 जारी किया गया है। उक्त कार्य की लागत जी.एस.टी. सहित रू. 6,93,840=00 (छः लाख तिरान्नवे हजार आठ सौ चालीस रूपये) मात्र है। कार्य की सफलतम समाप्ति के पश्चात् फर्म से प्राप्त देयक का भुगतान किया जायेगा। अतः उपरोक्तानुसार कार्योदेश जारी करने कार्योत्तर स्वीकृति एवं देयक प्राप्ति उपरांत भुगतान की स्वीकृति के लिए विषय प्रस्तुत है।

निर्णय :–

कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् प्राप्त देयक अनुसार राशि के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

0 1 JUL 2021

विषय क्रमांक – 7 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों की सेवा अवधि का पुनः एक वर्ष के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

विभागीय टीप –

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के आदेश क्रमांक/435/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 17/07/2020 के द्वारा एम.सी.ए. अध्ययनशाला में कार्यरत निम्नलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों का नवीनीकरण दिनांक 17.07.2020 से 16.07.2021 तक किया गया है:–

क्र.	संविदा सहायक प्राध्यापक का नाम	अध्ययनशाला का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	संविदा सेवा अवधि समाप्ति तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अजय सिंह ठाकुर	कम्प्यूटर अध्ययनशाला	17/07/2020	16/07/2021
2	सुश्री पल्लवी सिंह	कम्प्यूटर अध्ययनशाला	17/07/2020	16/07/2021
3	श्री दुर्गेश कुमार केशर	कम्प्यूटर अध्ययनशाला	17/07/2020	16/07/2021
4	कु. ओशीन कुंजाम	प्रबंधन अध्ययनशाला	17/07/2020	16/07/2021

इसी प्रकार, आदेश क्रमांक/479/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 07/08/2020 के द्वारा प्रबंधन अध्ययनशाला में कार्यरत निम्नलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों का नवीनीकरण दिनांक 06.08.2020 से 05.08.2021 तक किया गया है:–

क्र.	संविदा सहायक प्राध्यापक का नाम	अध्ययनशाला का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	संविदा सेवा अवधि समाप्ति तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डॉ. नीलेश कुमार तिवारी	प्रबंधन अध्ययनशाला	04/08/2018	05/08/2021
2	डॉ. अनुरोध बनोदे	प्रबंधन अध्ययनशाला	04/08/2018	05/08/2021
3	डॉ. भूपेन्द्र कुमार वर्मा	प्रबंधन अध्ययनशाला	04/08/2018	05/08/2021
4	श्रीमती रश्मि देवागंन	प्रबंधन अध्ययनशाला	04/08/2018	05/08/2021

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रशासकीय विभाग से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, परन्तु छ.ग. शासन, वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये शासकीय व्यय में मितव्ययता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त निर्देश 14/2021 दिनांक 26/04/2021 के अनुसार पुनः वित्तीय अनुमति के लिय छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब एवं वित्तीय अनुमति तथा रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 में सत्र आरंभ से अध्ययन–अध्यापन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधिया संपादित करने हेतु छ.ग. सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम, 2012 तथा विश्वविद्यालय विनियम, 122 के प्रावधानों के अधीन एम.सी.ए. एवं प्रबंधन अध्ययनशाला में कार्यरत उपरोक्त 8 संविदा सहायक प्राध्यापकों की संविदा अवधि का नवीनीकरण संविदा सेवा अवधि समाप्ति तिथि पश्चात आगामी तिथि से पुनः एक वर्ष तक अथवा नियमित नियुक्ति होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

01 JUL 2021

निर्णय :—

शैक्षणिक सत्र 2021—22 में सत्र आरंभ से अध्ययन—अध्यापन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधिया संपादित करने हेतु छ.ग. सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम, 2012 तथा विश्वविद्यालय विनियम, 122 के प्रावधानों के अधीन एम.सी.ए. एवं प्रबंधन अध्ययनशाला में कार्यरत उपरोक्त 8 संविदा सहायक प्राध्यापकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर उनकी संविदा अवधि का नवीनीकरण संविदा सेवा अवधि समाप्ति तिथि पश्चात आगामी तिथि से पुनः एक वर्ष तक अथवा नियमित नियुक्ति होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, तक किया जावे।

विषय क्रमांक — 8 (विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में शैक्षणिक सत्र 2021—22 हेतु अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने की सूचना के संबंध में।

विभागीय टीप —

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक रिक्त पदों के विरूद्ध अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति एक अकादमिक सत्र 2020—21 के लिये किया गया है। कार्यरत अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ दिनांक 30 जून, 2021 को समाप्त हो रही है। कोविड—19 महामारी के कारण सत्र 2020—21 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ माह मई—जून, 2021 में संपन्न हुई है, तथा सत्र 2020—21 की सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ माह अगस्त—सितम्बर, 2021 में आयोजित किया जा सकता है। इसी प्रकार, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2021—22 प्रारंभ करने संबंधी निर्देश एवं शैक्षणिक कैलेण्डर जारी किये जाने उपरान्त अध्ययन—अध्यापन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधिया संपादित करने हेतु स्वीकृत शैक्षणिक रिक्त पदों के विरूद्ध अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति यू.जी.सी./छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/0397/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2021 जगदलपुर, दिनांक 05/06/2021 प्रसारित किया गया है। दिनांक 10/06/2021 समय 12.00 NOON से दिनांक 24/06/2021 समय 23.59 PM तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदनों की स्क्रुटिनी, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया शेष है।

अवगत हो कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रशासकीय विभाग से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, परन्तु छ.ग. शासन, वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये शासकीय व्यय में मितव्ययता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त निर्देश 14/2021 दिनांक 26/04/2021 के अनुसार पुनः वित्तीय अनुमति के लिये छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब एवं वित्तीय अनुमति तथा रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आगामी शैक्षणिक सत्र 2021—22 में सत्र आरंभ से अध्ययन—अध्यापन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधिया संपादित करने हेतु अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति पुनः आगामी शैक्षणिक सत्र 2021—22 के लिये किया जाना अतिआवश्यक है।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :—

सूचना ग्रहण की गई।

01 JUL 2021

विषय क्रमांक – 9 (विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. प्रकोष्ठ का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी को रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में यथावत् अंगीकृत कर लागू करने के संबंध में।

विभागीय टीप –

भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग–III–खण्ड 4, प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 287 नई दिल्ली, मंगलवार, 31 जुलाई, 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी को रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 दिनांक 23 जुलाई, 2018 संबंधी अधिसूचना प्रकाशित हुई है। राजपत्र में यह उल्लेखित है कि ये विनियम, देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों, संकायो, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

उक्त विनियम को समस्त विश्वविद्यालयों में लागू करने हेतु कुलपतियों को सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र क्रमांक D.O. No. F. 1-18/2010 (CPP-II) Dated 6-8-2018 प्रेषित किया गया है। शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में 8 विषयों (मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन, वानिकी एवं वन्यजीव, हिन्दी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी) में वर्ष 2014 से पी–एच.डी. पाठ्यक्रम संचालित है। उक्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 48 शोधार्थी पी–एच.डी. पाठ्यक्रम में शोध कार्य हेतु पंजीकृत है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी को रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में यथावत् अंगीकृत कर लागू करने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

यथावत अंगीकृत कर लागू करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक – 10 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

शैक्षणिक सत्र 2021–22 से पी.जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन तथा पी.जी. डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्टस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, शुल्क निर्धारण करने और अतिथि व्याख्याताओं एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की एक सत्र के लिए अस्थायी नियुक्ति के संबंध में।

विभागीय टीप –

कार्यपरिषद की 29वीं बैठक दिनांक 03.11.2020 के कार्यवाही विवरण क्रमांक/774/अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 03.11.2020 के अनुसार विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में Diploma in Journalism एवं Diploma in Tribal Arts प्रारंभ करने के संबंध में सदस्यों से प्राप्त सुझाव अनुसार विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27.01.2021 के विषय क्रमांक 09 में उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिसे कार्यपरिषद की 30वी बैठक दिनांक 29.01.2021 के विषय क्रमांक 2 में अनुमोदन किया गया है। डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एवं डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा इन ट्राईबल आर्टस प्रारंभ करने के संबंध में कार्यपरिषद के निर्णय के परिपालन में आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 से उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम क्रमशः 60–60 सीट संख्या के साथ ''पी.जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन'' तथा ''पी.जी. डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्टस'' के नाम से प्रारंभ किया जाना है।

01 JUL 2021

उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रत्येक छात्र से प्रति सेमेस्टर रूपये 10,000/– शिक्षण शुल्क तथा शेष अन्य शुल्क विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध यनशाला अन्तर्गत संचालित पी.ज़ी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है। छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति प्रदाय नही किया जावेगा। दिव्यांग, अल्पसंख्यक, तृतीय लिंग के छात्र/छात्राओं तथा समस्त छात्राओं के लिए प्रति सेमेस्टर रूपये 5,000/– शिक्षण शुल्क रहेगा। अध्यापन/शैक्षणिक कार्य हेतु अंशकालिक अतिथि व्याख्याता रखे जाने पर विश्वविद्यालय में एक सत्र के लिए नियुक्त किये जाने वाले अतिथि व्याख्याता को प्रत्येक कालखण्ड के अध्यापन/शैक्षणिक कार्य के लिए रूपये 300/– तथा प्रतिमाह अधिकतम रूपये 20,800/– के मानदेय पर रखा जा सकता है। इसी प्रकार, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर स्वीकृत दैनिक मजदूरी अनुसार एक उच्च कुशल, एक कुशल एवं दो अकुशल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर एक सत्र के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। प्रत्येक सत्र में चार अतिथि व्याख्याताओं एवं चार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जिनके वेतन, भत्ते आदि पर लगभग 15.00 लाख रूपये व्यय संभावित है।

कार्यपरिषद् की स्वीकृति उपरान्त अतिथि व्याख्याताओं एवं चार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार अस्थायी नियुक्ति एक सत्र के लिए की जावेगी। अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता, चयन प्रक्रिया आदि का निर्धारण कुलपति महोदय द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार शुल्क निर्धारण, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अंशकालिक नियुक्ति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

यथाप्रस्तावित अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 11

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक – 1 (कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत सह–प्राध्यापकों को यू.जी.सी. रेग्यूलेशन–2016 के अनुसार कैरियर में उन्नति योजना (CAS) के तहत (Asociate Professor (Stage 4) to Professor (Stage-5) में प्रोन्नति प्रदान करने बाबत् आयोजित साक्षात्कार दिनांक 25.06.2021 का कार्यवृत्त/कार्यवाही विवरण मान. कार्यपरिषद के समक्ष खोले जाने बाबत्।

विभागीय टीप–

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, की धारा 49 के तहत शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत निम्नलिखित सह–प्राध्यापकों के यू.जी. सी. रेग्यूलेशन–2016 के अनुसार कैरियर में उन्नति योजना (CAS) के तहत (Asociate Professor (Stage 4) to Professor (Stage-5) में प्रोन्नति प्रदान करने बाबत् आयोजित साक्षात्कार दिनांक 25.06.2021 को कुलपति कक्ष में आहूत किया गया–

01. डॉ. शरद नेमा, सह प्राध्यापक, वानिकी एवं वन्यजीव
02. डॉ. स्वपन कुमार कोले, सह प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जानजातीय अध्ययन

उपरोक्त सह प्राध्यापकों का साक्षात्कार छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, की धारा–49 के तहत गठित चयन समिति द्वारा लिया गया। चयन समिति की कार्यवाही विवरण/कार्यवृत्त सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया है। लिफाफा माननीय कार्यपरिषद के समक्ष खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

0 1 JUL 2021

निर्णय :–

चयन समिति के कार्यवाही विवरण/कार्यवृत्त के अनुसार सह–प्राध्यापकों (डॉ. शरद नेमा, सह प्राध्यापक, वानिकी एवं वन्यजीव एवं डॉ. स्वपन कुमार कोले, सह प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जानजातीय अध्ययन) को अर्हता तिथि से यू.जी.सी. रेग्यूलेशन–2016 के अनुसार कैरियर में उन्नति योजना (CAS) के तहत (Asociate Professor (Stage 4) to Professor (Stage-5) में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 25.05.2021 को आयोजित झीरम श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम के देयक भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप –

बस्तर जिला प्रशासन द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में दिनांक 25.05.2021 को झीरम श्रद्धांजलि दिवस का वर्चुअल आयोजन किया गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वाराबस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का नाम शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर करने की घोषणा की गई एवं शहीद महेन्द्र कर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के पत्र क्र. 294/ब.वि.वि./अका./2020–21, जगदलपुर दिनांक 24.05.2021 द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), उत्तर बस्तर संभाग क्र. 1, जगदलपुर को प्रेषित कर कलेक्टर, जिला–बस्तर के निर्देशानुसार कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य संपादित करने हेतु लेख किया गया था।

कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), उत्तर बस्तर संभाग क्र. 1, जगदलपुर के पत्र क्र. 2559/आडिटर/जगदलपुर, दिनांक 11.06.2021 द्वारा दीपक साउण्ड सर्विस एण्ड टेकोरेट्स, जगदलपुर द्वारा किये गये विद्युतीकरण व्यवस्था का देयक क्र. 381, दिनांक 27.05.2021 राशि रूपये 1,06,174/– तथा पत्र क्र. 2565/आडिटर/जगदलपुर, दिनांक 11.06.2021 द्वारा आराध्या इवेंट जगदलपुर द्वारा किये गये विद्युतीकरण/डिजिटल व्यवस्था का देयक क्र. एस–3, दिनांक 31.05.2021 राशि रूपये 43,585/– का भुगतान वित्तीय परीक्षणोपरांत करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षरोणपरान्त नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिये उत्तर लेखन कार्य करने वाले व्यक्ति (राईटर/स्क्राईब) को प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 300/– मानदेय भुगतान करने के संबंध में।

विभागीय टीप–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा आयोजित विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले दृष्टिबाधित दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिये उत्तर लेखन कार्य करने वाले व्यक्ति (राईटर/स्क्राईब) को प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 300/– मानदेय भुगतान किये जाने का प्रस्ताव मान. कार्यपरिषद सदस्य श्री रेखचंद जैन, माननीय विधायक–जगदलपुर, एवं संसदीय सचिव द्वारा दिया गया है।

0 1 JUL 2021

सम्माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह प्रस्तावित है कि संबंधित दृष्टिबाधित अथवा दोनों/एक हाथ से दिव्यांग परीक्षार्थी एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष /केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किये जाने पर दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिये उत्तर लेखन कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 300/– मानदेय भुगतान विश्वविद्यालय परीक्षा मद से किया जावेगा।

जिस व्यक्ति को मानदेय का भुगतान किया जाना है उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसपर संबंधित दृष्टिबाधित/दोनों अथवा एक हाथ से दिव्यांग परीक्षार्थी का हस्ताक्षर एवं अन्य विवरण उल्लेखित होगा तथा दिव्यांग परीक्षार्थी के दिव्यांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। राईटर/स्क्राईबर को आवेदन के साथ स्वयं का पहचान पत्र जैसे–आधार, वोटर आई.डी., ड्राईविंग लायसेंस, पेनकार्ड एवं शैक्षणिक अभिलेख जैसे– कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक परीक्षा आदिकी अंकसूची/प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा स्वयं के नाम के बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

यथा प्रस्तावित सत्र 2020–21 की परीक्षाओं के लिए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 4 (कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

मुख्य/वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल, 2021 के कुल देयक राशि **26,65,324/-** के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के मुख्य/वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल, 2021 का के गोपनीय सामग्री मुद्रण/डिलीवरी/सिक्यूरिटी देयक क्र. GP/02/20-22, दिनांक 20.06.2021, राशि रूपये **13,87,695/-** (रूपये तेरह लाख सत्तासी हजार छः सौ पन्चानबे) एवं देयक क्र. GP/03/20-22, दिनांक 20.06.2021, राशि रूपये **12,77,629/-** (रूपये बारह लाख सत्हत्तर हजार छः सौ उन्तीस) कुल देयक राशि **26,65,324/-** (रूपये छब्बीस लाख पैसठ हजार तीन सौ चौबीस) के गोपनीय मुद्रण का भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

नियमानुसार परीक्षा सम्पन्न होने पश्चात् भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के स्थापना/प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु नियुक्त अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की सेवा अवधि में वृद्धि करने के संबंध में।

विभागीय टीप –

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक रिक्त पदों के विरूद्ध अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति एक अकादमिक सत्र 2020–21 के लिये किया गया है। कार्यरत अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ दिनांक 30 जून, 2021 को समाप्त हो रही है। कोविड–19 महामारी के कारण सत्र 2020–21 की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ माह मई–जून, 2021 में संपन्न हुई है, तथा सत्र 2020–21 की सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ माह अगस्त–सितम्बर, 2021 में आयोजित किया जा सकता है। अतः सत्र 2020–21 की सम सेमेस्टर की अध्ययन–अध्यापन कार्य तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधिया संपादित करने हेतु कार्यरत अंशकालिक अतिथि व्याख्याताओं की सेवा अवधि में दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक अथवा सत्र 2020–21 की सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ संपन्न होने की अवधि तक वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं का विवरण निम्नानुसार है :–

01 JUL 2021

क्र.	अतिथि व्याख्याताओं का नाम	अध्ययनशाला का नाम
01	डॉ. तुलिका शर्मा	समाज कार्य अध्ययनशाला
02	श्री दीनानाथ यादव	समाज कार्य अध्ययनशाला
03	डॉ. राज कुमार	ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
04	सुश्री जितेश्वरी कौशिक	ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
05	श्री सियालाल नाग	राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला
06	श्रीमती किरण पटेल	राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला
07	डॉ. भुनेश्वर लाल साहू	राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला
08	सुश्री मिताली मतलाम	मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला
09	डॉ. रेखा नागवंशी	अंग्रेजी अध्ययनशाला
10	सुश्री सुनीता राठौर	अंग्रेजी अध्ययनशाला
11	श्रीमती किरण मोरार	शिक्षा अध्ययनशाला
12	श्री धनिष्ठा भास्कर	शिक्षा अध्ययनशाला
13	श्री चन्द्रशेखर साहू	शिक्षा अध्ययनशाला
14	श्री डोमेश कुमार पाण्डे	शिक्षा अध्ययनशाला
15	डॉ. सुष्मिता पाण्डे	जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
16	श्रीमती कोमल नंदनवार	वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला

अवगत हो कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रशासकीय विभाग से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, परन्तु छ.ग. शासन, वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये शासकीय व्यय में मितव्ययता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त निर्देश 14/2021 दिनांक 26/04/2021 के अनुसार पुनः वित्तीय अनुमति के लिये छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब एवं वित्तीय अनुमति तथा रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती प्रकिया पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

यथा प्रस्तावित अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति के अध्यक्ष डॉ. (श्रीमती) के. इंदिरा, प्राध्यापक (रसायन शास्त्र), शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर के स्थान पर डॉ. आई. पी.तिवारी को अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक/918/भण्डार/ब.वि.वि./2018–19 जगदलपुर, दिनांक 03/05/2018 के द्वारा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति में माननीय कार्यपरिषद के स्वीकृति उपरांत श्रीमती के. इंदिरा प्राध्यापक (रसायन शास्त्र), शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर को सदस्य/अध्यक्ष मनोनित किया गया था। डॉ. (श्रीमती) के. इंदिरा ने महाविद्यालय के कार्यों में व्यस्तता के कारण आवक पत्र क्रमांक 2281, दिनांक 30/06/2021 के द्वारा उक्त दायित्व से पृथक करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा केन्द्रीय क्रय समिति की अध्यक्षता लगभग 02 वर्ष तक की गई है।

इस हेतु विश्वविद्यालय के विनियम, 108 (विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत निर्मित) भाग 4 (ब) के अनुसार डॉ. (श्रीमती) के. इंदिरा, प्राध्यापक (रसायन शास्त्र), शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर के स्थान पर कार्यपरिषद सदस्य डॉ. आई. पी.तिवारी प्राचार्य, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, कंगोली, जगदलपुर को शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय के केन्द्रीय क्रय समिति में अध्यक्ष मनोनीत किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

प्रकरण कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

01 JUL 2021

विषय क्रमांक – 7

सत्र 2021–22 के लिये Academic, Pre and Post Examination and Other Work (Online Basis) निविदा जारी करने की सूचना के संबंध में।

विभागीय टीप:–

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए Pre and Post Examination Processing Work (Online) कार्यो के संपादन हेतु कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर एवं सफल निविदाकार श्री आशीष मेहता एम.आई.सी.एस. 130, अमरनाथ कालोनी, भोपाल के मध्य दिनांक 19.08.2019 को अनुबंध किया गया था। अनुबंध में दर्शित शर्तो के अनुसार संबंधित फर्म द्वारा Pre and Post Examination कार्यो का संपादन सफलता पूर्वक किया गया। कार्य संतोषप्रद होने के फलस्वरूप सत्र 2020–21 में कोविड–19 के कारण उत्पन्न समस्याओं एवं संक्रमण की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित फर्म से किये गये अनुबंध में एक वर्ष की वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 1209/गोपनीय/2020 दिनांक 18.05.2020 को सत्र 2019–20 के लिए स्वीकृत दर के अनुसार परीक्षा/गोपनीय कार्य संपादित करने के लिए सहमति मांगी गई थी। उक्त फर्म द्वारा दिनांक 15.06.2020 को पत्र प्रेषित कर सहमति दिये जाने के पश्चात सत्र 2020–21 हेतु एक वर्ष के लिए अनुबंध में वृद्धि किया गया था। वृद्धि किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति कार्यपरिषद की 29 वीं बैठक दिनांक 03.11.2020 के विषय क्रमांक 06 में वर्णित है।

चूँकि फर्म से किये गये अनुबंध की तिथि समाप्ति की ओर है। तथा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधी निर्देश एवं शैक्षणिक कैलेण्डर जारी किये जाने पर विश्वविद्यालय को तत्काल ऑनलाईन पंजीयन एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करना होगा। साथ ही सत्र 2021–22 में अन्य अकादमिक, परीक्षा एवं गोपनीय विभाग से संबंधित ऑनलाईन कार्य, Pre and Post Examination, Result Processing Work, विभिन्न प्रकार के ऑनलाईन प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन, शुल्क भुगतान आदि कार्यो के संपादन हेतु निविदा विश्वविद्यालय के संक्षिप्त निविदा विज्ञापन क्रमांक/2729/भण्डार–प.गो./श.म.क.ब.वि.वि./2021–22 जगदलपुर, दिनांक 29.06.2021 भंडार शाखा के माध्यम से आंमत्रित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए Academic, Pre and Post Examination and Other Work (Online Basis) संबंधी निविदा जारी करने की सूचना कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

1/7/21
कुलपति
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्याल, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

01/07/2021
कुलसचिव
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्याल, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

0 1 JUL 2021